International Journal of Hindi Research
www.hindijournal.com
ISSN: 2455-2232
Received: 29-08-2021, Accepted: 15-09-2021, Published: 30-09-2021
Volume 7, Issue 5, 2021, Page No. 116-117

भारतीय शिक्षा, संस्कृति, भाषा और साहित्य संपदा का संवर्द्धनात्मक संकल्प तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020

ज्योत्स्ना आनंद
एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, रामजस कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत

सारांश
प्रस्तुत शोध–आलेख का ध्येय "राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020" के संदर्भ में भारतीय शिक्षा, संस्कृति, भाषा और साहित्य संपदा के संवर्द्धनात्मक महत्त्व की संकल्पनाओं का वर्णन–विवेचन प्रस्तुत करना है । शोध–आलेख द्वारा "राष्ट्रीय शिक्षा नीतिरू 2020" की वर्तमान प्रासंगिता का महत्त्व प्रतिपादित करना ध्येय रहा है । प्रस्तुत शोध–आलेख में समस्त शिक्षा नीतियों के सन्दर्भ में "राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020" के महत्त्व को रेखांकित किया गया है ।

मूल शब्दः राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020, कोठारी आयोग, व्यावसायिक शिक्षा, 'राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक' (National Professional Standards for Teachers & NPSTs), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence & AI)

प्रस्तावना

मेरा मत है कि किसी भी राष्ट्र की उन्नत आधारशिला प्रायः उसकी कक्षाओं में निर्मित हुआ करती है। ऐसे में अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि शिक्षा वर्तमान समय एवं कुशल छात्रों के ध्येय को धारण कर सके।

वर्तमान समय में छात्र गला–काट प्रतियोगिता के युग में नित्य ही प्रातः काल 'मोर्निंग अलार्म' (Morning Alarm) के साथ नींद से जागृत और 'नाइट अलार्म' लगाकर निद्रा की गोद में आराम हेतु जा पाता है। मुझे अक्सर अज्ञेय की पंक्तियाँ स्मरण हो आती हैं – 'हम दौड़ इस कारण नहीं रहे कि दौड़ना चाहते हें अपितु इस कारण दौड़ रहे हैं कि रुक नहीं सकते।'

इन पंक्तियों पर मन ज्यों ही स्थिर होता है कि अचानक यादों की गहराइयों से एतिवन टॉफलर के शब्द मेरे मस्तिष्क को झकझोर देते हैं –

"भविष्य में वो अनपढ़ नहीं होगा तो पढ़ न पाए, अनपढ़ वो होगा जो ये नहीं जानेगा कि सीखा कैसे जाता है।"

अनेक दशकों के अध्यापन अनुभव के कारण मैंने निरंतर विगत शिक्षा नीतियों में संशोधन की व्यावहारिक आवश्यकता को महसूस किया है। मेरा स्पष्ट मत है कि विगत शिक्षा नीति में संशोधन की आवश्यकता इसलिए नहीं थी कि वह बुरी थी अपितु इस कारण थी कि वह नए परिदृश्य में पुरानी पड़ चुकी थी, आउटडेटेड हो गई थी।

दरअसल ...., भारतीय विगत शिक्षा प्रणाली 'मैकाले पद्धति' का परिणाम रही थी। इस साक्ष्य के बोध हेतु हमें अतीत की स्मृतियों पर ध्यान देना होगा।

15 अगस्त, 1947 को भारत की स्वतंत्रता के पश्चात् वर्ष में कोठारी आयोग (1964–1966) की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। किंतु वर्ष 1986 तक आते–आते देश की शिक्षण प्रणाली में आवश्यक सुधारों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इसके परिणामस्वरूप 1986 में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (विशेषतः महिलाओं, दिव्यांगों तथा अनुसूचित जातियोंध्जनजातियों आदि के संदर्भ में असमानताओं को दूर करने हेतु) लागू की गई। मात्र कुछ वर्षों के पश्चात् राष्ट्रीय शिक्षा नीतिरू 1986 में संशोधन की आवश्यकता के कारण राष्ट्रीय शिक्षा नीतिरू 1992 को लागू किया गया। इसमें तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा, कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय स्तर पर एकल प्रवेश परीक्षा की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया।

इसे साधारण शब्दों में विश्लेषित करें तो हम पायेंगे कि सन् 1835 से अब तक अर्थात् विगत 185 वर्षों से शिक्षा नीति में प्रतिपादित हुआ है कि सरकार ही सब कुछ करेगी अर्थात् सरकार के अतिरिक्त कुछ नहीं करेगा। इसका परिणाम हुआ कि शिक्षा से समाज का ध्यान भटक गया और इसको भी कानून व्यवस्था की तरह सरकार का दायित्व व जिम्मेदारी मात्र मान लिया गया। अभिप्राय यह है कि 1835 से पूर्व शिक्षा एक सामाजिक जिम्मेदारी थी। दुनिया के शैक्षिक दृष्टि से उन्नत समस्त देश शिक्षा को सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में देखते हैं। हम हाल ही में वैश्विक महामारी (Global Pandenic) के दौर से उबरे हैं। इस दौरान हमने शैक्षिक जगत में नई अनुभूतियों के दर्शन किए। हमने जाना कि आर्थिक विषमताओं के होने के बावजूद भी भारत के समस्त छात्र योग्यता एवं क्षमता के अनुसार भविष्यमुखी बने रहे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 की 'लाइफ लॉन्ग लर्निंग' एवं ' मोड ऑफ सपोर्टिव एजुकेशन' की अवधारणा इसे सार्थकता प्रदान करती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति रू 2020 की पूर्व इसरो प्रमुख डॉ० के० कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में बनी एक समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है। इसका ध्येय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, नवाचार एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के साथ–साथ शिक्षा प्रणाली को वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा के योग्य बनाना है।

इसके अंतर्गत वर्तमान में सक्रिय 10ः2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम की 5ः3ः3ः4 प्रणाली (क्रमशः 3–8, 8–11, 11–14, और 14–18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये) के आधार पर विभाजित किया गया है।

मेरा मानना है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा को प्राथमिकता देना सराहनीय प्रयास है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति रू 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषाध्स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अपनाने और आगामी शिक्षा में मातृभाषा ज्ञान को प्राथमिकता देने से गुणवत्ता सुधार होगा। इस दिशा में बधिर छात्रों हेतु राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री का विकास तथा 'भारतीय सांकेतिक भाषा' (Indian Sign Language & ISL) को संपूर्ण देश में मानकीकृत करने का लक्ष्य उत्साहवर्धक साबित होगा।

आप यदि ग्रामीण प्राइमरी स्कूल और डी०पी०एस० सम स्कूलों के मध्य अंतर देखें तो अंतर भयावह स्थिति को बयाँ करेगा। यह अंतर ठीक पुस्तकीय और व्यावहारिक जीवन के अंतर जैसा बन पड़ा है। अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति रू 2020 के तहत तकनीकी

शिक्षा तथा भविष्योन्मुखी निर्णयों में सहायता हेतु 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' (Artificial Intelligence & AI) आधारित सॉफ्टवेयर्स का प्रयोग करने का निर्णय लिया गया है।

इस नीति के तहत शिक्षण–प्रणाली में सुधार हेतु शिक्षकों के लिये 'राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक' (National Professional Standards for Teachers & NPSTS) का विकास तथा चार वर्ष के एकीकृत बी०एड० कार्यक्रम की अवधारणा प्रस्तुत की गई है।

राष्ट्रीय स्तर पर आईआईटी (IIT) और आईआईएम (IIM) सम वैश्विक मानकों के 'बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय' (Multidiciplinary Education and Research Universities& MERUS) की स्थापना का प्रस्ताव संतुष्टि प्रदान करता है।

भाषा संवर्द्धन एवं अनुवाद के दृष्टिकोण से 'भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान' (Indian Institute of Translation and Interpretation & IITI) की निमिर्ति तथा फारसी, पाली और प्राकृत के लिए राष्ट्रीय संस्थान (छंजपवदंस प्देजपजनजम (or Institutes) वित Pali] Persian and Prakrit) का स्वप्न, उच्च शिक्षा में बहुभाषावाद को प्रोत्साहन, 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' पहल के तहत 6–8 ग्रेड के दौरान छात्रों द्वारा 'भारतीय भाषाओं' पर परियोजना में भागीदारी के निर्णय सहित, 'राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन' की स्थापना जैसे आगामी प्रयास प्रोत्साहन योग्य हैं। यह प्रयास निश्चित ही साहित्य, कला एवं संस्कृति के संरक्षण–संवर्द्धन का कार्य करेंगे।

मेरा मत है एक ऐसे डिजिटल युग में जहाँ शाई रशेफ की 'यूनिवर्सिटी ऑफ पीपुल' दुनिया के 120 से अधिक देशों में फैले 5000 लोगों को बगैर शिक्षण–शुल्क लिये केवल परीक्षा शुल्क लेकर डिजिटल शिक्षा प्रदान कर रही है। ऐसे में उच्च शिक्षा को चंद लोगों का विशेषाधिकार नहीं बनाया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति रू 2020 में इस आयाम पर विचार शामिल हैं। अतः 'ई–लर्निंग' के तहत स्वायत्त निकाय के रूप में 'राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच' (National Educational Technol Foruem) का गठन किया जाएगा। इस दिशा में वंचित तबकों एवं वर्गों हेतु अनेक प्रयास शामिल हैं। एक सराहनीय प्रयास यह भी है कि क्षमता निर्माण हेतु लड़कियों एवं ट्रांसजेंडर छात्रों को समान गुणवत्ता प्रदान करने की दिशा में 'जेंडर इंक्लूजन फंड' (Gender Inclusion Fund) की स्थापना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है तथा एससी, एसटी, ओबीसी तथा अन्य सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों से संबंधित मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

मैं सदैव स्पष्ट कहा करती हूं कि राष्ट्र निर्माण की आधारशिला कक्षाओं में प्रतिष्ठापित की जाती है। उच्च शिक्षा के स्तर पर 'सकल नामांकन अनुपात' (Gross Enrolment Ratio) को 26.3 प्रतिशत (वर्ष 2018) से बढ़ाकर 50 फीसदी तक करने का लक्ष्य जिस कारण उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा तथा स्नातक स्तरीय शिक्षा के तहत मल्टीपल एंट्री एंड एक्जिट व्यवस्था। इसके तहत छात्र 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा। उदाहरणार्थ – एक वर्ष के बाद प्रमाण–पत्र, दो वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा, तीन वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री तथा चार वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक सहित 'एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' (Academic Bank of Credit) गुणवत्ता सुधार की सार्थक पहल है।

निष्कर्ष

अस्तु, 'राष्ट्रीय शिक्षा नीतिरू 2020' में 34 वर्षों के पश्चात् उदित दैदीप्यमान दिवाकर के समान है। जिसकी किरणें प्राथमिक–माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के स्तर पर विश्व गुरु भारत को पूर्णतः आलोकित कर देंगी .....।

संदर्भ

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार